04.02.19

वकील अपीलान्ट उपस्थित सारिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। दौराने अपील एडमीशन वकील अपीलान्ट को सुना गया। यह अपील उपखण्डाधिकारी कामां जिला भरतपुर के पत्र कमांक /राजस्व/18/212 दिनांक 18.10.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जो तहसीलदार कामां के पत्रांक/3585 दिनांक 23.8.2018 के संदर्भ में तहसीलदार कामां को निर्देशित किया गया है। पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह एक प्रशासनिक आदेश है जो तहसीलदार कामां को उनके प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देशित किया गया है। ऐसी स्थिति में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75–76 के प्रावधानानुसार चूंकि प्रशासनिक पत्र/आदेश निर्णित प्रकरण की श्रेणी में नहीं आने के कारण अपील मेन्टेबल न होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पीडित पक्षकार नियमानुसार सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर चाह गया अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतन्त्र रहते है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर फैसल शुमार किया जावे।

संभागीय आयुक्त
भरतपुर